शारीरिक दंड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **छत्तीसगढ़** **उच्च न्यायालय** ने एक छात्र को आत्महत्या के लिये उकसाने की आरोपी एक महिला शिक्षक की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अनुशासन या शिक्षा के नाम पर स्कूल में किसी बच्चे को **शारीरिक दंड** **देना क्रूरता है।**

मुख्य बिंदु

न्यायालय के अनुसार, बच्चे को शारीरिक दंड देना **भारत के संविधान** के **अनुच्छेद 21** द्वारा गारंटीकृत उसके जीवन के अधिकार के अनुरूप नहीं है। छोटा होना किसी बच्चे को वयस्क से कमतर/छोटा नहीं बनाता।

शारीरिक दंड

- **परिचय:**
  - बाल अधिकारों पर **संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा शारीरिक दंड को परिभाषित किया गया है, "कोई भी दंड जिसमें शारीरिक बल का उपयोग किया जाता है** और बच्चों के लिये कुछ हद तक दर्द अथवा परेशानी उत्पन्न करने का इरादा होता है, चाहे वह दंड कितना भी सरल क्यों न हो।"
    - समिति के अनुसार, इसमें ज़्यादातर बच्चों को हाथ या डंडे, बेल्ट आदि से **मारना (पीटना, थप्पड़ मारना)** सम्मिलित है।
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार, शारीरिक या शारीरिक दंड **वैश्विक स्तर पर घरों तथा स्कूलों दोनों में अत्यधिक प्रचलित है।**
    - **2 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के लगभग 60%** बच्चे नियमित रूप से अपने माता-पिता या अन्य देखभाल करने वालों द्वारा शारीरिक रूप से दंडित किये जाते हैं।
  - भारत में बच्चों के लिये **'शारीरिक दंड' की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है।**
- **शारीरिक दंड के प्रकार:**
  - **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)** द्वारा परिभाषित **शारीरिक दंड** में कोई भी **ऐसा कार्य शामिल है जो किसी बच्चे को दर्द, चोट या हानि** पहुँचाता है।
    - इसमें बच्चों को असुविधाजनक स्थिति में खड़ा करना शामिल है, जैसे बेंच पर खड़ा होना,**दीवार के सहारे कुर्सी की तरह खड़ा होना या सिर पर स्कूल बैग रखना।**
    - इसमें पैरों में हाथ डालकर **कान पकड़ना, घुटनों के बल बैठना, जबरन पदार्थ खिलाना** एवं बच्चों को स्कूल परिसर के भीतर बंद स्थानों तक सीमित रखना जैसी प्रथाएँ भी शामिल हैं।
  - **मानसिक उत्पीड़न** का संबंध गैर-शारीरिक दुर्व्यवहार से है जो **बच्चों के शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।**
    - दंड के इस रूप में व्यंग्य, अपशब्दों तथा **अपमानजनक भाषा का उपयोग करके डाँटना, डराना और अपमानजनक टिप्पणियों का उपयोग जैसे व्यवहार शामिल हैं।**
    - इसमें बच्चे का उपहास करना, उसका अपमान करना या उसे लज्जित करना, भावनात्मक कष्ट और समस्याग्रस्त वातावरण निर्मित करना जैसे कार्य भी शामिल हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/corporal-punishment-1